



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 07 अभियुक्त को 08-08 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,14,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु०अ०सं०-847/2010 धारा-147,148,152,307,332,333,353 ,224,225,325 भा०द०सं० व 2बी(12)/14 द०प्र०क्षे० अधि० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तगण 01.सुरेश 02.रमेश 03.राकेश 04.राजेश उर्फ राजेन्द्र पुत्रगण टीकाराम लोधी 05.सिंहराज पुत्र महिपाल लोधी नि०गण ग्राम अतरौली थाना जरिया हमीरपुर 06.अजय पुत्र तुलाराम लोधी नि० ग्राम धगवां थाना जरिया हमीरपुर 07.प्रभूदयाल पुत्र बेनीप्रसाद नि० कस्बा गोहाण्ड थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 08-08 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,14,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री मणिकर्ण
शुक्ला



विवेचक-
उ०नि० नयन सिंह



पैरोकार- थाना जरिया
का० भूपेन्द्र निरंजन